



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092025-265869
CG-DL-E-01092025-265869

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3886]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 2025/भाद्र 10, 1947

No. 3886]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 2025/BHADRA 10, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2025

का.आ. 3991(अ).— केंद्रीय सरकार, आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 2 के खंड (द) के अनुसरण में और भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3259(अ), तारीख 11 सितंबर, 2019 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट आप्रवास ब्यूरो में निम्नलिखित विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सामने उल्लिखित अधिकारिता के भीतर, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी

क्रम संख्या	विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	अधिकारता (राज्य या संघ राज्यक्षेत्र)
(1)	(2)	(3)
1.	विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अहमदाबाद	दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, गुजरात
2.	विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अमृतसर	चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, लद्दाख
3.	विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बैंगलोर	कर्नाटक
4.	विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कालीकट	केरल (कन्नूर, कासरगोड, कोझिकोड, वायनाड और मलप्पुरम जिले)।
5.	विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, चेन्नई	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पुडुचेरी, तमिलनाडु
6.	विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कोचीन	केरल (अलाप्पुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, पालक्काड और त्रिशूर जिले), लक्षद्वीप।
7.	विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, दिल्ली	दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश (गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले), राजस्थान
8.	विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना
9.	विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कोलकाता	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल
10.	विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, लखनऊ	उत्तर प्रदेश (गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों को छोड़कर)।
11.	विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मुंबई	छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र।
12.	विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, त्रिवेंद्रम	केरल (कोल्लम, पथानामथिट्टा और तिरुवनंतपुरम जिले)।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 25022/43/2025-आईएमएम] [1]

नितेश कुमार व्यास, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2025

S.O. 3991(E).— In pursuance of clause (r) of section 2 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Home Affairs *vide* number S.O. 3259 (E), dated the 11th September, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby authorises the following Foreigners Regional Registration Officers in the Bureau of Immigration as specified in column (2) of the Table below to perform the duties of the Registration Officer under the said Act within the jurisdiction mentioned against each Foreigners Regional Registration Officer in column (3) of the said Table, namely :—

TABLE

Sl. No.	Foreigners Regional Registration Officer	Jurisdiction (State or Union territory)
(1)	(2)	(3)
1.	Foreigners Regional Registration Officer, Ahmedabad	Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Gujarat.
2.	Foreigners Regional Registration Officer, Amritsar	Chandigarh, Jammu and Kashmir, Punjab, Ladakh.
3.	Foreigners Regional Registration Officer, Bangalore	Karnataka.
4.	Foreigners Regional Registration Officer, Calicut	Kerala (Kannur, Kasaragod, Kozhikode, Wayanad and Malappuram Districts).
5.	Foreigners Regional Registration Officer, Chennai	Andaman and Nicobar Islands Puducherry, Tamil Nadu.
6.	Foreigners Regional Registration Officer, Cochin	Kerala (Alappuzha, Ernakulam, Idukki, Kottayam, Palakkad and Thrissur Districts), Lakshadweep.
7.	Foreigners Regional Registration Officer, Delhi	Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh (Gautam Buddha Nagar and Ghaziabad Districts), Rajasthan.
8.	Foreigners Regional Registration Officer, Hyderabad	Andhra Pradesh, Orissa, Telangana.
9.	Foreigners Regional Registration Officer, Kolkata	Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand, Manipur, Meghalaya,

		Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, West Bengal.
10.	Foreigners Regional Registration Officer, Lucknow	Uttar Pradesh (except Gautam Buddha Nagar and Ghaziabad Districts).
11.	Foreigners Regional Registration Officer, Mumbai	Chhattisgarh, Goa, Madhya Pradesh, Maharashtra.
12.	Foreigners Regional Registration Officer, Trivandrum	Kerala (Kollam, Pathanamthitta and Thiruvananthapuram Districts).

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 25022/43/2025-Imm] [1]

NITESH KUMAR VYAS, Addl. Secy.